<u>लोक सभा</u>

अतारांकित प्रश्न संख्या 4917

26 मार्च, 2018 को उत्तर के लिए

इस्पात इकाइयों द्वारा सुरक्षा एवं पर्यावरण संरक्षण उपाय

4917. प्रो॰ रविन्द्र विश्वनाथ गायकवाड़ः

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या इस्पात के निर्माण में लगी कंपनियों ने गत तीन वर्षों के दौरान अपने संयंत्रों/इकाइयों में पालन किए जा रहे सुरक्षा एवं पर्यावरण संरक्षण उपायों की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस्पात का निर्माण करने वाली कंपनियों द्वारा अधिकारियों की मिलीभगत से पर्यावरण संरक्षण उपायों के अनुपालन में अनियमितताओं के मामले प्रकाश में आए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

<u>उत्तर</u>

इस्पात राज्य मंत्री (श्री विष्णु देव साय)

(क) और (ख): कारखाना अधिनियम, 1948 के अंतर्गत पंजीकृत इस्पात निर्माण कंपनियाँ/कारखानें अधिनियम के प्रावधानों और इसके तहत तैयार राज्य कारखाना नियमावली से शासित होते हैं तथा उन्हें उन सुरक्षा प्रावधानों के नियमों का अनुपालन करना अपेक्षित होता है जोकि संबंधित राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्रों द्वारा लागू किए जाते हैं। सरकार के विनियामक प्राधिकरणों द्वारा एकीकृत इस्पात संयंत्रों के लिए पर्यावरण मानक अधिसूचित किए जाते हैं। इस्पात निर्माण कंपनियों द्वारा इन मानकों का अनुपालन करना अपेक्षित होता है। उपलब्ध सूचना के अनुसार, ये सभी इस्पात कंपनियाँ आंतरिक और वाह्य ऑडिट के दौरान सुरक्षा नियमों एवं पर्यावरण नियमों की अनुपालना की समय-समय पर समीक्षा करते हैं। तथापि, लोहा और इस्पात उद्योग लाइसेंस-मुक्त एवं नियंत्रणमुक्त है, अतः यूनिट-वार अनुपालना रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है।

(ग) और (घ): इस्पात निर्माण कंपनियों द्वारा पर्यावरण सुरक्षा उपायों की अनुपालना में अधिकारियों की मिलीभगत से हुई अनियमितताओं के कोई मामले सूचित नहीं किए गए हैं।

*****